

SITE INSPECTION REPORT

NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA 1980)

A proposal has been received by this Office from the E.E PWD Gopeshwar-chamoli (Uttarakhand) for diversion (under FCA 1980) of **2.54 Hectare** of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for the **Construction of Motor road from Dungri to Koung-Pothani-Bounla**. The Site Inspection of the land involved in the proposal has been done by me on date 16-01-2018.

On inspection of the site, it is found that the land required by the User Agency is a Forest area measuring **2.54 Hectare**.

The requirement of Forest Land as proposed by the User Agency in Column no-2 of Part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. – yes

There are no rare/endangered/unique Species of Flora and Fauna found in the area.-No

The are no Archaeological/heritage site/defined establishment or any other important Monument located in the area.- No

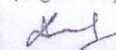
The User Agency has not violated the provision of Forest Conservation Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.

Recommended in public interest.

Place- Gopeshwar

Date- 16-01-2018

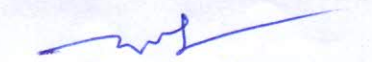
(Signature)



Name- Amit Kanwar.

Designation- वन संरक्षक

Office Seal- वन संरक्षण विभाग
गोपेश्वर



आधिशासी अभियन्ता
खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति -	डुधी- कौज पोथनी- बौला
(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii) जिला	रामोली
(iii) जिला वन प्रभाग	कंदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	2.54 है०
2. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति:	पंचायत भूमि/ सिविल भूमि
3. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:	सलग्न।
(i) वन का प्रकार	पंचायत भूमि/ सिविल भूमि
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	.5
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	सलग्न।
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का मुख्या	सलग्न।
4. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण की संभावना कम है।
5. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	2.50 किमी०
6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	नहीं।
(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	नहीं।
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपावद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)	नहीं।
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)	नहीं।
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)	नहीं।
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसम के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	नहीं।
7. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपावद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नहीं।

अभिशासी अभियन्ता

प्रन्तीय खण्ड लोक निर्माण

गोपेश्वर

पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की क्षमता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :	निम्नानुसार
i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	न्यूनतम है।
ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	याचित भूमि न्यूनतम है।
9. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :	नहीं
i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/ नहीं)	नहीं।
ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्दलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	लागू नहीं।
iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/ नहीं)	संलग्न है।
10. क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	सिविल सोयम भूमि
i) क्षतिपूर्क वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	सिविल सोयम भूमि
ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	संलग्न
iii) क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर बनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।	संलग्न।
iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/ नहीं)।	संलग्न
v) क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिचय :	संलग्न।
vi) क्या क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/ नहीं)।	संलग्न।
11- वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/ नहीं)।	संलग्न।
12 स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

स्थान गोपेश्वर

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा
उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

अभिशासी अभियन्ता
प्रन्तीय खण्ड लक्ष्मी नारायण विभाग